(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं0 24/2015-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 30 अप्रैल, 2015

सा0का0नि0 (अ)- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 12/2012- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 163 (अ) तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम सं0 133 और उससे संबंधित प्रविष्टियां का लोप किया जाएगा ;

(ii) क्रम सं0 255 में

(क) स्तंभ (3) में "निम्नलिखित वस्तुएं अर्थात्:-" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "शीर्ष 8471 के अंतर्गत आने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए निम्नलिखित वस्तुएं, अर्थात् " शब्द और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) स्तंभ (5) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "2" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(फा.सं. 334/5/2015-टीआरयू)

(प्रमोद कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का.नि. 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -II, खंड -3, उपखंड (i) में, प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. 303(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015 उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 22/2015- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 17 अप्रैल ,2015 के द्वारा किया गया था।